शिक्षा

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् **केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सी सी एच)**
राष्ट्रीय संस्थान **राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एन.आई.ए.), जयपुर** **राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, (एन आई एस) चेन्नई** **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एन आई एस),कोलकता** **राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे** **राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर** **आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आई पी जी टी आर ए), गुजरात** **राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली** **मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान**

शिक्षा नीति अनुभाग **आयुष शैक्षिक संस्थान विकास सहायता अनुदान योजना**

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन दिनांक 10.8.71 को राजपत्र अधिसूचना, असाधारण भाग II, खंड 3(ii) के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है । केंद्रीय परिषद् का पुनर्गठन 1984 और 1995 में हुआ । केंद्रीय परिषद् के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :-

1.भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा - आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब में शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना

2.भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में चिकित्सा अर्हताओं को शामिल करने (मान्यता देने) तथा मान्यता वापस लेने से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार को परामर्श देना ।

3.भारतीय चिकित्सा पद्धति की केंद्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना ।

4.चिकित्सकों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना ।

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम1970 की धारा 22 के अनुसार यथा अपेक्षित राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद ने उक्त अधिनियम के धारा 36 के अनुसार यथा उपेक्षित केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से आयु/यूनानी/सिद्ध की स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा के निम्न अंकित पाठ्यक्रम विनियमों के जरिए विहित किए है:-

क स्नातक पाठयक्रम:-

1. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (न्यूनतम भारतीय चिकित्सा शिक्षा मानक (संशोधन) विनियम, 1989 आयुर्वेदाचार (बी .ए. एम. एस.) पाठयक्रम हेतु
2. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (न्यूनतम भारतीय चिकित्सा शिक्षा मानक संशोधन) विनियम, 1995 कामिल ए - तिब्ब ओ - जराहत (बी यू एम एस)पाठ्यक्रम हेतु ।
3. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (न्यूनतम भारतीय चिकित्सा शिक्षा मानक संशोधन (विनियम,) 1986 सिद्ध मरुतवा अरिगनर (बी एस एम एस) पाठयक्रम हेतु ।

ख स्नातकोत्तर पाठयक्रम:

1. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर शिक्षा) (संशोधन) विनयिमय,2005 आयुर्वेद वाचस्पति एमडी हेतु ।
2. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर शिक्षा) वि‍ि नयम,1979 माहिर - ए- तिब्ब एम डी (यूनानी) हेतु 1988 तक संशोधित है ।
3. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर शिक्षा) वि‍ि नयम,1979 सिद्ध मरुतवा परारिगनर एम डी (सिद्ध) हेतु ।

ये पाठ्यक्रम देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध कॉलेजों में चलाए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप - धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के बाद निम्नांकित आयुर्विज्ञान अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 की दूसरी अनुसूची में वर्ष 2006 -07 की अवधि में मान्यता दी / जोड़ी:-

केंद्रीय भारतीय चिकित्सा पंजिका का निर्माण व रखरखाव करना केंद्रीय परिषद के मुख्य मकसदों में से एक है । उपबंधानुसार केंद्रीय परिषद भारतीय चिकित्सा पंजीका का रखरखाव विहित ढंग से कर रही है । इसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम विद्यमान है जो किसी भारतीय चिकित्सा की राज्य पंजिका में फिलवक्त दर्ज हैं और जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता को धारण किए हुए रहते हैं । केंदीय परिषद केंद्रीय भारतीय चिकित्सा पंजिका का रखरखाव कर रही है और उसको अद्यतन करना अनवरत प्रक्रिया है ।

केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अनुरक्षित भारतीय चिकित्सा पद्धति की केंद्रीय पंजिका में दर्ज भारतीय चिकित्सा के चिकित्सकों का राज्यवार विवरण निम्नवत् है ।

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध

1	असम			
2	आंधप्रदेश			
3	बिहार			
4	दिल्ली			
5	गोवा			
6	गुजरात			
7	हरियाणा			
8	हिमाचल प्रदेश			
9	जम्मू एवं कश्मीर			
10	कर्नाटक			
11	केरल			
12	मध्यप्रदेश			
13	महाराष्ट्र			
14	उड़िसा			
15	पंजाब			
16	राजस्थान			
17	तमिलनाडु			
18	उत्तर प्रदेश			
19	पंश्चिम बंगाल			
20	**योग**			

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सी सी एच)

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अघियिम 1973 के उपबंधो के अनुसार भारत सरकार द्वारा गठित सांविधिक निकाय है । इसके मुख्य उद्देश्य (क) देश में होम्योपैथी चिकित्सा का नियमन करना (ख) होम्योपैथी चिकित्सकों का केंद्रीय रजिस्टर अनुरक्षित करना (ग) होम्योपैथी चिकित्सकों के व्यावसायिक आचरण ,शिष्टाचार और नीति संहिता का मानकीकरण तय करना हैं ।

केंद्रीय परिषद् राज्य होम्योपैथी बोडों /परिषदों और विश्वविद्यालय में होम्योपैथी संकायों /विभागों के निर्वाचित सदस्यों और केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्यों से गठित है । परिषद कार्यकारणी समिति,वित्त समिति स्नातकोत्तर शिक्षा समिति आदि जैसी विविध समितियों के जरिए कार्य करती है । परिषद का सामान्य निकाय निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है ।

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम 1973 को 2002 में संशोधित किया गया और नये कालेज चलाने, नये या उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने तथा किसी कालेज में सीट संख्याएं बढ़ाने की अनुज्ञा देने का अधिकार अब केंद्र सरकार में निहित है । देश में 184 होम्योपैथी स्नातक कालेज हैं जो साढ़े पंच वर्षीय बैचलर आफ होम्योपैथीक मेडिसीन एण्ड सर्जरी का डिग्री कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं । स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय अवधि का है । इसके पूरे होने पर एम डी (होम्योपैथी) की डिग्री प्रदान की जाती है ।
देश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे 30 कॉलेज हैं । दो कॉलेज अनन्यत: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं ।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एन.आई.ए.), जयपुर

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के सभी पक्षों के शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानकों का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा 7 फरवरी, 1976 को आयुर्वेद के एक शीर्षस्थ संस्थान के रूप में की गई थी।

यह संस्थान स्नातक, स्नातकोत्तर और पी.एच.डी. स्तर पर शिक्षण, नैदानिक कार्य, प्रशिक्षण और अनुसंधान के कार्य में लगा है और यह राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के कारण आयुर्वेद के बाह्य पी.एच.डी. छात्रों का मार्गदर्शन भी करता है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर दाखिला अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करके दिया जाता है।

संस्थान स्नातक,स्नातकोत्तर और पी एच डी शिक्षा प्रदान करता है तथा आयुर्वेद उपचर्या और भैषिजिकी में डिप्लोमा कोर्स भी उपलब्ध कराता है । आयुर्वेदाचार्य का स्नातक पाठ्यक्रम 5-1/2 वर्षीय अवधि का है । यह पाठ्य क्रम 1 1/2 वर्षीय अवधि तक प्रत्येक तीन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों अर्थात 4-1/2 वर्ष के मुख्यपाठ्यक्रम और एक वर्ष की अन्त: शिक्षुता में विभाजित है । बी ए एम एस में प्रवेश क्षमता 60 प्रतिवर्ष है ।

यह संस्थान 11 विषयों अर्थात् द्रव्य गुण विज्ञान, काय चिकित्सा, कौमार्यभृत्य, पंचकर्म, रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना, रोग एवं विकृति विज्ञान, मौलिक सिद्धांत (संहिता), शल्यतंत्र, शरीर क्रिया, शरीर रचना और स्वास्थ वृत्त में आयुर्वेद वाचस्पति (एम डी आयुर्वेद) का 3 वर्षीय

गण, मौलिक सिद्धांत (संहिता), शल्यतंत्र, शरीर क्रिया, शरीर रचना और स्वस्थ वृत्त में आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी.आयुर्वेद) का 3 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है । एम डी आयुर्वेद में प्रवेश क्षमता 55 प्रति वर्ष है। काय चिकित्सा शल्य तंत्र, द्रव्यगुण, मौलिक सिद्धांत (संहिता) और विकृति विज्ञान और शरीर क्रिया के प्रत्येक विषय में अध्येता वृत्तियां उपलब्ध हैं। संस्थान ने ढाई वर्षीय अवधि का आयर्वेद उपचर्या एवं फार्मेसी डिप्लोमा प्रारंभ किया है। इसमें प्रतिवर्ष 20 सीटे हैं ।

छात्रों की संख्या

पाठ्यक्रम का नाम	**प्रवेश क्षमता**	**आरक्षण**
बी.ए.एम.एस. (आयुर्वेदाचार्य)	60	अनुसूचित जाति के लिए 15% अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% लड़कियों के लिए 10 सीटें
एम.डी.(आयु.)(आयुर्वेद वाचस्पति)	55 (11 विषयों में प्रत्येक में 5)	अनुसूचित जाति के लिए 15% अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%
अध्येतावृत्ति (आयुर्वेद वारिधि)	12 (6 विषयों में प्रत्येक में 2)	अ.जा./अ.ज.जा. हेतु 10 %
आयुर्वेद कम्पाउंडर नर्स प्रशिक्षण में डिप्लोमा	20	अनुसूचित जाति के लिए 15% अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%
अंत शिक्षुता	-	-

छात्रवृत्ति व वजीफा

स्नातक वजीफा: स्नातक कर रहे छात्र अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्त: शिक्षुता पर रहते है । इसके लिए इन्हें 5,715/- रुपये प्रतिमाह दिया जाता है ।

स्नातकोत्तर वजीफा: एन आई ए में स्नातकोत्तर वजीफा राजस्थान के राजकीय चिकित्सा कालेजों के वजीफे के बराबर है । वजीफा की वर्तमान दर 7000/ - (प्रथम वर्ष) , 7,500 रुपये द्वितीय वर्ष) और 8,000 (अंतिम वर्ष)+ महगाई भत्ता है ।

अध्ययता वृत्ति का वजीफा: रु 0 8,275/- (प्रथम वर्ष) और रु0 8550/- (परवर्ती वर्ष) + महगाई भत्ता है ।

अस्पताल कार्यकलाप

संस्थान के पास 180 पलंगों वाले 2 अस्पताल हैं जिनमें विकृति विज्ञान जांचों, जीव रसायनिक जांचों, एक्स-रे, ई सी जी, टी एम टी, स्पिरोमीटरी, डेंटल, ऑडियोमीटर आदि जैसी विविध प्रकार की सुविधाएं हैं। ओपीडी व आई पीडी में दवाएं अधिकतर नि:शुल्क वितरित की जाती हैं। वर्ष के दौरान अंतरंग रोगी विभाग में 3155 नए रोगियों तथा बाह्य रोगी विभाग में 75,298 नए रोगियों की चिकित्सा की गई। (अगस्त 06 तक)

शिक्षकों /चिकित्सा अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम: आयुर्वेद के शिक्षकों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए 3 सप्ताह का चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान में सितम्बर ,2005 से उत्तरांचल स्वास्थ्य विकास परियोजना उत्तरांचल राज्य सरकार के अधीन आयोजित किया जा रहा है । प्रशिक्षण बैचों में दिया जाता हैं तथा एक बैच में 20 सहभागी (न्यूनतम - 10) रहते हैं । पांच बैचों के प्रशिक्षण पूरे हो गये है । औषधीय पादपों को पहचानने हेतु दौरे भी कराए जाते हैं । प्रशिक्षण का उद्देश्य आयुर्वेद के ज्ञान को अमल में लाना है जिसमें आयुर्वेद के उपचारों में अनुसंधानों पर आधारित नूतनतम सिद्धांतों को अपनाया जाता है ।

राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, (एन आई एस) चेन्नई

राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एन. आई. एस.), चैन्नई आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त संगठन है। संस्थान सिद्ध पद्धति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर शिक्षा संचालित करता है , इस पद्धति के जरिए चिकित्सा परिचर्या प्रदान करता है,अपने विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है तथा इस विज्ञान का विकास, संवर्धन और प्रचार करता है। संस्थान को तमिलनाडु सरकार के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में पंजीगत व्यय और 75:25 के अनुपात

में आवर्ती व्यय की साझेदारी कर रही हैं । संस्थान भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह द्वारा 3/9/05 को उद्घाटित किया गया है ।

संस्थान ने 6 विशेष विषयों अर्थात् i) मारूतुवम ii)गुनापदम iii)सिराप्पु मारूतुवम iv) नोई नदल v) कुझांताई मारूतुवम vi) नन्जु नूलम मारूतुवा नीथि नूलम में स्नातकोत्तर कक्षाएं 30.9.04 से प्रारंभ कर दी हैं (प्रत्येक विशेष विषय में 5 छात्र हैं) । ओ.पी. डी. की 6 शाखाओं में औसतन 1000 मरीजों को फिलवक्त प्रतिदिन उपचारित किया जाता है ।

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एन आई एस),कोलकता

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संगठन के रूप में 10 दिसंबर, 1975 को कोलकाता में स्थापित किया गया था। संस्थान 1987 से होम्योपैथी डिग्री कोर्स और 1998 - 99 से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता रहा है ।

यह संस्थान सत्र 2003-04 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित रहा और 2004-05 से पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित है । संस्थान शिक्षकों व चिकित्सकों के लिए नियमित पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी व्यवस्थित करता है।

बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम की अवधि साढ़े पांच वर्षों की है (एक वर्षीय अनिवार्य इंटर्नशिप समेत) । एम डी (होम्योपैथी) पाठ्यक्रम तीन विषयों अर्थात् आर्गेनन ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी और औषध निघंटु में उपलब्ध है । प्रत्येक विषय में 06 स्थान उपलब्ध हैं। बी.एच.एम.एस. कोर्स में उपलब्ध पचास सीटों में से तीस छात्र देश के विभिन्न केंद्रों में एन. आई .एच. द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के ज़रिए योग्यता के आधार पर दाखिला प्राप्त करते हैं । जिन राज्यों में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नहीं हैं उनकी सरकारों द्वारा नामित अभ्यर्थियों के लिए पन्द्रह सीटें आरक्षित हैं और पाँच सीटें आई. सी. सी. आर. के जरिए बी. आई. एम. एस. टी. आई .सी. देशों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं जबकि एक सीट विदेशी राष्ट्रीय छात्र के लिए आरक्षित है।

एन. आई. एच. में बहिंरग व अंतरंग रोगी विभाग हैं जो रोगियों को रियायती दर से और कूछ मामलों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। निदान विकृति विज्ञान, विकिरण विज्ञान, अल्ट्रा सोनोग्राफी एवं ई सी जी सहित विशेषित निदानालय उपलब्ध है। परिष्कृत जीव रासायनिक जांचों की सुविधा भी उपलब्ध है। संस्थान 60 बिस्तरों वाला अस्पताल है। इसमें से 10 बिस्तर शल्य क्रिया व 10 बिस्तर प्रसूति के लिए उद्दिष्ट हैं। इन 60 बिस्तरों के अलावा वातानुकूलित 8 पेइंग कैबिन हैं। हाल ही में 6 बिस्तर वाला बाल चिकित्सा रोगी कक्ष प्रारंभ किया गया है। संस्थान के पास उपस्कर से सज्जित शल्य क्रिया थिएटर है । नए उपकरण, यंत्र जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर, डायथिरेमी, सुवाह्य एक्स-रे मशीन, हारिजान्टल स्टिरीलिजर और ओ टी लैम्प की व्यवस्था की गई है। आर्थोपेडिक सर्जरी भी उपलब्ध है। संस्थान में प्रसव कक्ष है और यह जच्चा-बच्चा की प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर परिचर्या करता है । हृद विज्ञान और भौतिक चिकित्सा छतरहित कक्ष ओ पी डी में हाल में खोले गए।

राष्ट्रीय होम्योपेथी संस्थान कोलकाता के पास नदिया जिला के कल्याणी में 10 हेक्टेयर भूमि में फैला उद्यान है। इसमें 2253 वृक्षों, 1050 झााड़ियों तथा 3150 जड़ी-बूटियों सहित 120 औषधीय प्रजातियों की खेती की जा रही है । संस्थान सहायता-अनुदान के रूप में भारत सरकार से पूर्णत: धन प्राप्त करता है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे

. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे 22-12-1986 को अस्तित्व में आया । संस्थान में शासी निकाय है । इसके अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं । राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एन. आई .एन.) ताड़ीवाला रोड, पुणे - 411001 पर स्थित बाबू भवन नामक ऐतिहासिक भवन में विद्यमान है । महात्मा गाँधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है । पुणे में 1934 से आने के बाद बापू वहाँ रहते थे । इसका परिक्षेत्र आल इंडिया नेचर क्योर फाऊंडेशन ट्रस्ट , जिसका आजीवन अध्यक्ष महात्मा गाँधी थे, के स्वामित्व में मूलत: था । यह परिक्षेत्र राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने की खातिर भारत सरकार को डा. दिनशा के. मेहता द्वारा 17-03-1975 को सुपुर्द किया ग्या । एन. आई .एच. सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत 27-09-1984 को पंजीकृत किया गया।

एन आई एन. में मुफ्त परामर्श सेवा सहित ओ. पी .डी .चिकित्सा केंद्र है । यहाँ रोगियों को विविध प्रकार के प्राकृतिक चिकित्सा विषयक उपचार रियायती दरों पर प्रदान किए जाते हैं । संस्थान में योग प्रशिक्षण 7 बैचों में प्रतिदिन चलता है। स्वास्थ्य सामग्री की दुकान भी प्राप्य है जहाँ प्राकृतिक आहार, रसायन-उर्वरक मुक्त उत्पाद जनता के बिक्रयार्थ उपलब्ध है । प्राकृतिक चिकित्सा योग और स्वास्थ्य के अन्य विषयों की किताबें एवं प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार में प्रयुक्त विविध प्रकार के यंत्र भी स्वास्थ्य सामग्री की दुकान में रियायती दरों पर बेचे जाते हैं । एक्युप्रेशर उपचार रोगियों को सप्ताह में 6 दिन मुफ्त दिया जाता है ।

एन आई एन. द्विभाषिक (अंग्रेजी/हिंदी) मासिक पत्रिका निसर्गोपचार व्रत का प्रकाशन करता है । एन आई एन नेअमेरिकी प्राकृतिक चिकित्स

डा.ज. एच.किलाग का श्रेष्ठ कृति रशनल हाइड्रोपथी का पुन:मुद्रित किया है । एन.आइ. एन. ने विभिन्न प्रकार की साधारण बीमारियों में प्राकृतिक उपचारों की रीतियों व लाभों पर जाने माने वक्ताओं द्वारा अतिथि व्याख्यानों का आयोजन बुधवारों को किया । एन.आई .एन. नें विभिन्न रोगों व प्रक्रियाओं के प्रदर्शनों सहित एक दिवसीय चार कार्यशालाएं आम जनता के लिए माह के अंतिम शनिवार को भी आयोजित किया । एन.आई.एन. छात्रों के लिए 2000/- रुपये प्रतिमाह के वजीफे से एक वर्षीय पूर्णकालिक उपचार परिचर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (टी ए टी सी) संचालित कर रहा है। विभिन्न कॉलेजों के आठ बी.एन.वाई.एस. इंटर्न 3500/ - रुपये मासिक वजीफे पर प्राकृतिक चिकित्सा अंत:शिक्षुता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

वित्त सहायता देश के विभिन्न भागों के गैर सरकारी सगठनों को प्रदान की गई ताकि प्राकृतिक चिकित्सा के तरीकों की बाबत आम जन को स्वत: स्वस्थ्य रहने एवं उसमे स्वास्थ्य के प्रति जागरुक रहने पर बल मिल सके । पूर्वोत्तर राज्यों से इतर इलाकों में कार्यक्रम चलाए गए । एन आई एन पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतम कार्यक्रमों का प्रायोजन करता है ।

राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर

राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को यूनानी चिकित्सा का विकास व प्रचार करने वाले उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन 19 नवंबर, 1984 को पंजीकृत किया गया था। यह संस्थान भारत सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम है। यह राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर कर्नाटक से संबंधित है।

राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान 55 एकड़ से अधिक के भूखंड में फैला है और प्रथम चरण का निर्माण 14.00 करोड रु. की लागत पर पूरा हुआ। इसमें 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, शैक्षणिक खंड, छात्रावास प्रशासन खंड, ग्रंथागार विद्यमान है। संस्थान ने औषधीय उद्यान के विकासार्थ 3 एकड़ भूखंड उद्दिष्ट किया है। इसके अलावा, लघु जड़ी बूटियां और झाड़ियां शैक्षणिक खंड के पास लगाई गई हैं। एक प्रदर्शनीय उद्यान प्रयोगशाला खंड के मध्य में स्थित लॉन में स्थापित किया है जिसमें 11 सुगंधित व औषधीय पादप हैं। इसके अतिरिक्त दुलर्भ पादपों को भी निकट भविष्य में रोपने का प्रस्ताव है। ओषधीय जड़ी बूटियों जैसे स्टेविया, हाबिसकस, मलिसिया, आफिसीनालिस, सेंटिनेल्ला एसिएटिका, पिपर लोंगम की बड़े पैमाने पर कृषि करने के लिए भैषजिकी के समक्ष एक भूखंड तैयार किया गया है।

संस्थान के अस्तित्व में आने के कुछ विगत वर्षों में चार विषयों में शिक्षण के अलावा संस्थान ओ पी डी एवं आई पी डी में मरीजों को मुफ्त उपचार सुविधाएं मुहैया कराता है। सुव्यवस्थित और विस्तृत ग्रंथागार परिसर में विद्यमान है। इसमें नवीनतम ग्रंथ, दुर्लभ पांडुलिपियां, पत्रिकाएं आदि रखी हैं एवं रिप्रोग्राफी तथा जिराक्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभाग नवीनतम कम्प्यूटर व्यवस्था, नवीनतम प्रिंटर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओ एच पी आदि से सज्जित है।

संस्थान के परिसर में उसका अलग भैषजिकी भवन है। इसमें लगभग सभी अद्यतन मशीनें व उपस्कर हैं। इस भैषजिकी से ओ पी डी एवं आई पी डी की जरूरतें पूरी होंगी। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित है जो दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा लेता है। इसके प्रथम बैच ने दिसंबर, 2004 में दाखिला लिया । इस समय छात्र निम्नांकित चार विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहे है :-

1.मौलीजात (मेडिसिन)

2.इल्मुल क्बलात व अमराज-ई-अतफल (ओबीजी)

3.हिफजान-ई-सेहत (पीएसएम)

4.इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)

संस्थान देश के वृहत्तर क्षेत्र से छात्रों को आकर्षित करने में सफल रहा है और यह केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा विहित पाठ्यचर्या का अनुसरण करता है । संस्थान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द आदि जैसे अनेक संस्थानों से सम्पर्क कायम किए हैं । स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के अनुसार स्टाफ क्वाटर्स, बालिका छात्रावास, निदेशक आवास, जांतवगृह आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है ।

राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा परिषद् की अपनी वेबसाइट है **http://www.nium.in** .

आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आई पी जी टी आर ए), गुजरात

आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का एक घटक है । यह आयुर्वेद के प्राचीनतम स्नातकोत्तर केंद्रों में से एक है । यह अपने रखरखाव और विकास के लिए सरकार के अनुदानों में पूर्णत: वित्तपोषित है । संस्थान में 9 शिक्षण विभाग हैं जो स्नातकोत्तर डिग्री और डाक्टरेट डिग्री के लिए 13 विशेषताओं में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करते हैं। आई. पी. जी. टी. आर. ए. विदेशियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है । विश्वविद्यालय का 6 विदेशी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन है । इसके अनुसार निदान व प्रायोगिक प्रशिक्षण इन संस्थानों के छात्रों को मुहैया कराया जाता है ।

उरुगवे, परागवे, बोलिविया, मैक्सिको, स्पेन, ब्राजील जैसे देशों के छात्रों के लिए निदान व प्रायोगिक प्रयोगशालाएं 10 दिनों के लिए वर्ष में लगाई गई । नीदरलैंडस के यूरोपीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान के 12 छात्रों को एक महीने का नैदानिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया ।

संस्थान के सुप्रबंधित अस्पताल में ओ पी डी और आई पी डी की सुविधाएं हैं । विद्यालयों व समाज में आयुर्वेद का प्रसार कार्य के तहत जामनगर के विविध स्कूलों के प्राथमिक माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक छात्रों के स्वास्थ्य की जांच कौमारभृत्य विभाग आई पी जी टी आर ए द्वारा की गई । इस कार्यक्रम में छात्रों की सम्पूर्ण स्वास्थ्य जांच करने के बाद एक व्याख्यान छात्रों व स्टॉफ को दिया गया जो आयुर्वेद से रोग निवारण [illegible]

स्वास्थ्य, अनुरक्षण से जुड़ा था ।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है और 1988 में सोसाइटीज एक्ट, 1860 के तहत् पंजीकृत है। आर ए वी गुरू शिष्य परंपरा अर्थात् ज्ञान-हस्तांतरण की परंपरागत प्रणाली के तहत 45 वर्ष की आयु से कम के आयुर्वेदिक स्नातकों और स्नातकोत्तरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद ि वद्यापीठ छात्र (एम आर ए वी) के दो वर्षीय पाठ्यक्रम से आयुर्वेदिक संहताओं एवं उनकी टीकाओं का ज्ञान प्राप्त करने तथा संहिताओं का उत्तम शिक्षक, अनुसंधानकर्ता छात्र एवं एवं विशेषज्ञ बनने के लिए साहित्यिक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त होता है । जिन छात्रों ने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर कोर्स पूरा कर लिया है और जो शिष्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें अध्ययन में लिए हुए विषयों पर संवाद तथा विमर्श करने को प्रर्याप्त वक्त मिलता है । राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रमाण पत्र (सी आर ए वी) के एक वर्षीय पाठ्यक्रम में आयुर्वेदाचार्य (बी ए एम एस) या समानक डिग्री धारण करने वाले अभ्यर्थियों को कतिपय आयुर्वेदिक निदान प्रक्रियाओं की बाबत जिन्हें अनुसरित किया जा रहा है, विख्यात वैद्यों के अधीन प्रशिक्षित किया जाता है । इन पाठ्यक्रमों में दाखिला अखिलभारतीय आधार पर विज्ञापन देकर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद दिया जाता है ।

विद्यापीठ चिकित्साभ्यासियों और अनुसंधानकर्ताओं में पारंपरिक ज्ञान और अनुसंधानपरक निष्कर्ष का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करता है। विद्यापीठ विवादग्रस्त मामलों पर विमर्श कराने हेतु छात्रों एवं शिक्षकों में परस्पर संवादमय कार्यशालाएं भी लगाता है और शिक्षापरक अनुसंधान तथा रोजी परिचर्या के क्षेत्रों में अतिरिक्त उपयोग हेतु स्पष्टता की व्यवस्था करता है।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान

पूर्ववर्तीय केंद्रीय योग अनुसंधान संस्थान (सी .आर .आई. वाई) के अमला वर्ग ,आस्तियों,देनदारियों का विलय करने के बाद मोरारजी देशाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एम डी एन आई वाई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (आयुष विभाग) के तहत स्वायत संगठन के रुप में अप्रैल 1998 में कार्यकर हो गया । संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं-

(i) योग में विशिष्ट केंद्र के रूप में कार्य करना,

(ii) योग विज्ञान का विकास, संवर्धन और प्रचार करना और

(iii) उपर्युक्त प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना और बढ़ाना।

योग चिकित्सा दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रतिवेदन अवधि में 22 छात्रों के नामांकन से प्रारंभ किया गया । योग अध्ययन के एक वर्षीय डिप्लोमा में 75 छात्र नामांकित थे । स्कूली शिक्षकों एवं गृहिणियों के लिए विशेषत: निर्मित पाठ्यक्रम मई - अगस्त,2006 में चलाया गया जिसमें 26 छात्रों ने पाठ्यक्रम को पूरा किया । स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों को व्यक्तियों के शारीरिक,मांनसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढावा देने तथा सुखी व स्वस्थ जीवन बिताने के वास्ते योगी योगपरक जीवनचर्या अपनाने में उनकी सहायता करने के लिए फिर से तैयार किया गया । 6 योग सामान्य स्वास्थ्य और सेहत रक्षा कार्यक्रम प्रतिदिन चलाए जा रहे है । योग कक्षाएं सप्ताह के अंत में लगाई गई है । निर्माण भवन,नई दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारियों के हितार्थ दो कक्षाएं वहां नियमित रुपेण चलाई जा रही हैं।

संस्थान ने कंप्यूटर उपयोग कर्ताओं में तकनीकी तनाव के प्रबंधन पर योग क्रियाओं का अध्ययन: साईको -न्यूरो- फिजियों मोटर फंगसन की मदद से गुणात्मक कार्यविधि विषय पर स्कार्ट हाट इंस्टिट्युट और रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के साथ सहयोगपरक विश्लेषण आरंभ किया है । अनुसंधान परियोजना पर काम चल रहा है । एम डी एन आई वाई ने आवेदनों को बहिर्वतीय अनुसंधान योजना के तहत प्राप्त करके उनका मूल्यांकन किया । पी ई सी ने मामलों को प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त किया तथा आयुष विभाग से सिफारिश की।

शिक्षा नीति अनुभाग

विभाग ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तिब्ब और होम्योपैथी के नए कॉलेज खोलने, उनमें प्रवेश क्षमता बढ़ाने और नए या उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञा प्रदान करने से जुड़े मामलों की देखरेख करने के लिए 16 अप्रैल, 2003 को शिक्षा नीति अनुभाग का गठन किया गया। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा 12 क की दृष्टि से नये मेडिकल कालेज स्थापित करने ,नये या उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने एवं प्रवेश क्षमता बढ़ाने से पूर्व केंद्र सरकार की पूर्व अनुज्ञा अनिवार्य है ।

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा 13 ग की शर्तो के अनुसार वर्तमान आयुर्वेद सिद्ध यूनानी मेडिकल कालेजों को केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञा प्रदान करने के कार्य को नियंत्रित करने वाला विनियम 6 .10. 06 को अधिसूचित किया गया, भारत के राजपत्र में 10-10-06 को प्रकाशित किया गया।

आयुष शैक्षिक संस्थान विकास सहायता अनुदान योजना

आयुष विभाग, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी के विकास व प्रचार के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा के मानक में सुधार लाना विभाग के प्रमुख लक्ष्यों में से एक अंगीकृत कार्य है। आयुष में शिक्षा को विनियमित करने के लिए केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् ने स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से बनाए हैं। तदनुसार विनियमों में उल्लिखित न्यूनतम मानकों के अनुसार आयुष की शिक्षण संस्थाऐं विनियम में उल्लिखित आधारिक संरचना, जिसमें कॉलेज, छात्रावास, पुस्तकालय तथा अपेक्षित संख्या में बिस्तरों वाले एक अस्पताल, शिक्षक और गैर-शिक्षक स्टाफ आदि के लिए भवन सम्मिलित हैं, की सुविधा देने पर आबद्ध हैं ।

यह देखा गया है कि अनेक शिक्षण संस्थान विनियमों में विहित न्यूनतम स्तरों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। अत्यधिक अंतर को भरने में कॉलेजों को सहायता के लिए विभाग ने आयुष शिक्षण संस्थानों को सहायता देने की योजनाएं तैयार की हैं।

आयुष विभाग ने आयुष संस्थान के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित व्यापक योजना तैयार की है ।